बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0-

पटना, दिनांक- 22.4.15

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-4 के साथ पठित बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली, 1972 के नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा एतद् संबंधी पूर्व के सभी अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए बिहार राज्यपाल एवं उसके द्वारा बिहार राज्य परामर्शदातृ ठेका मजदूर पर्षद का पुनर्गठन करते हैं, जिसमें निम्नांकित सदस्य रहेंगे :-

(1) प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना। – अध्यक्ष

(2) श्रमायुक्त, बिहार। – पदेन सदस्य-सह-सचिव

राज्य सरकार के विभाग के प्रतिनिधि

(3) उप श्रमायुक्त, पटना। श्रम संसाधन विभाग के प्रतिनिधि। – सदस्य

प्रमुख नियोजकों के प्रतिनिधि

(4) बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी/ट्रांसमिशन के प्रतिनिधि। – सदस्य

(5) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि। – सदस्य

प्रमुख संवेदकों के प्रतिनिधि - 2

(6) सकार कन्सट्रक्शन प्रा0लि0, द्वितीय तल्ला, पंडुई पैलेस, बोरिंग रोड, पटना। – सदस्य

(7) कश्यप ग्रीन होम प्रा0लि0, 601, शैलजा टॉवर, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना। – सदस्य

ठेका श्रमिकों के प्रतिनिधि - 2

(8) अध्यक्ष, पटना डेयरी प्रोजेक्ट कर्मचारी कल्याण संघ, मखदुमपुर, दीघाघाट, पटना। – सदस्य

(9) अध्यक्ष इंटक, बिहार। – सदस्य

<u>प्रमुख नियोजकों के श्रमिकों के प्रतिनिधि</u>

(10) श्री वाई0पी0 सिंह, मैनेजर, कारपोरेट अफेयर्स, आई0टी0सी0, मुंगेर। - सदस्य

(11) महाप्रबंधक, आई0ओ0सी0, बरौनी - सदस्य

2. इस पर्षद का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षो की होगी।

3. इस पर्षद का मुख्यालय पटना होगा।

संख्या- 4/सी-20/2012 श्र0सं0-

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.4.15

(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।

21/4/15

ज्ञापांक- 4/सी-20/2012 श्र0सं0- 1253 पटना, दिनांक- 22.4.15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

2. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-144 (1) के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र सं0-1524 दिनांक-10.03.2000 के कंडिका-ए (ii) में अंकित वेतन सीमा (8000 रूपया एवं इसके अधिक किन्तु 16400 रूपया से कम) तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0-922 दिनांक-29.01.2010 के आलोक में समिति के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य, जो उस स्थान के निवासी नहीं है, जहाँ बैठक हो रही है, के निमित प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी माने जाएंगे, जिन्हें निम्न प्रकार से यात्रा भत्ता देय होगा :-

1. रेल यात्रा - (i) सभी ट्रेनों के लिए - ए0सी0 2 टायर
   (ii) राजधानी एक्सप्रेस - तदैव
   (iii) शताब्दी एक्सप्रेस - ए0सी0 कर्सुीयान
2. सड़क यात्रा- गैर ए0सी0 टैक्सी/बस
3. (i) दैनिक भत्ता (अन्य शहरों के लिए) सामान्य- रूपया 200/-
   (ii) होटल - : रूपया 1000/-
4. सदस्य को यह यात्रा विराम भत्ता उसी दशा में अनुमान्य होगा जब वे यह प्रमाणित कर देंगे कि उन्होंने जिस यात्रा/विराम भत्ता के लिए दावा किया है, उसके संबंध में उन्होंने दूसरे श्रोत से कोई यात्रा/विराम भत्ता नहीं लिया है।
5. श्रमायुक्त, बिहार समिति के सचिव-सह-संयोजक गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
6. इसका आय व्यय-व्यय शीर्ष-"2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0013-सरकार द्वारा गठित समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता विपत्र कोड-एन0 - 2052000900013 के अन्तर्गत यात्रा व्यय इकाई से विकलनीय होगा।
7. यात्रा भत्ता के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश :- दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा अन्य व्यक्ति को अग्रसारित की जाय।

(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव।

ज्ञापांक- 4/सी0-20/2012 श्र0सं0- 1253 पटना, दिनांक- 22-4-15

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव।

ज्ञापांक- 4/सी0-20/2012 श्र0सं0- 1253 पटना, दिनांक- 22-4-15

प्रतिलिपि :- बिहार राज्य परामर्शदातृ ठेका मजदूर पर्षद के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव।

ज्ञापांक- 4/सी0-20/2012 श्र0सं0- 1253 पटना, दिनांक- 22-4-15

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव।

ज्ञापांक- 4/सी0-20/2012 श्र0सं0- 1253 पटना, दिनांक- 22-4-15

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव।